न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार बलाई आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः—07 / 2024

तारीख दायर—09.05.2024
तारीख—निर्णय— 21/11/25

1. श्री खानुराम पिता दामला मीणा निवासी गमेती नगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री नानालाल पिता दामला मीणा निवासी गमेती नगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्री शंकरलाल पिता दामला मीणा निवासी गमेती नगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्री उदयलाल पिता दामला मीणा निवासी गमेती नगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमती कंकु बाई पत्नी दामला मीणा निवासी गमेती नगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

.......वादीगण

बनाम

1. श्री केशा पिता पेमा मीणा निवासी गमेतीनगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
2. श्री शंकरलाल पिता पेमा मीणा निवासी गमेतीनगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
3. श्री नाथुलाल पिता पेमा मीणा निवासी गमेतीनगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
4. श्री नारायण पिता पेमा मीणा निवासी गमेतीनगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
5. श्रीमान तहसीलदार, लसाडिया जरिये भूमिधारी राज्य सरकार तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित—1. श्री नरेश कुमार सोनी, वकील वादी
2. श्री जोनी जैन वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संस्थित किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की मौजा गमेतीनगर पटवार हल्का बेडावल—ए भू—अभिलेख निरीक्षक देवलीया में वादी के खुद काश्त, कब्जे तथा खातेदारी की खाता संख्या 36 नया पुराना 33 के आराजी नम्बर 82 रकबा 0.16 हैक्टेयर आराजी नम्बर 83 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर वादीगण अपने पिता स्व. दामला पिता मेगा के

सही
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

बाद से खातेदारी कब्जे काश्त में हों खेती करते आ रहें है। आराजी नम्बर 83 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि में से कुछ भाग पर कच्चा रास्ता बना दिया गया तथा रास्ते के दुसरें भाग पर 83 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि पर पिछले वर्ष दिनांक 20.11.2022 से 8–10 दिन पूर्व विपक्षीगण जोर जबरदस्ती उक्त आराजीयात पर जबरन अवैध कब्जा अतिक्रमण करने के मकसद से पत्थर आदी डालकर कब्जा यानि अतिक्रमण करने पर उतारू हुए वादीगण ने मना किया तों लडाई झगडा कर मरने मारने पर उतारू हुये। जिस पर वादीगण द्वारा सलूम्बर थाने में उक्त आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर थाना सलूमबर की पुलिस ने कानुनी कार्यवाही कर विपक्षीगण को पाबंन्द भी कराया था तब विपक्षीगण थोडे दिन अवैध कब्जा नही कर उसके बाद पुनः अवैध अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करने पर उतारू हुए जिस पर तहसीलदार लसाडिया के यहां पर सीमा ज्ञान का आवेदन किया जिससे दिनांक 20.06.2023 को हल्का पटवारी भू.अ.निरक्षण द्वारा वादीगण की आराजीयात की मौतबिरन के सामने सीमाज्ञान भी कराया जिससे यह स्पष्ठ हुआ की विपक्षीगण आराजी नमबर 83 रकबा 0.2700 हैक्टेयर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहें है व पक्का निर्माण कर रहें है। तथा उसके बाद भी विपक्षीगण को ऐसा नही करने को कहा तो नही मान रहें है व कह रहें की न्यायालय ही हमें हटा सकता है। तुम हमारा कुछ नही बिगाड सकते हों इसलिये मजबुरीवश विपक्षीगण को वादीगण की अवैध रूप से अतिक्रमण कर कच्चे–पक्के निर्माण को हटाये जाने व कब्जा पुनः वादीगण को प्राप्त करने के लिये यह अतिक्रमण हटाने का वाद आप श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वादीगण व प्रतिवादीगणों का कोई पारिवारिक रिश्ता व रिश्तेदार नहीं है न ही भाई है मात्र एक ही जाति के है तथा नहीं वादीगण व प्रतिवादीगण की कभी कोई शामलाती कृषि भूमि रहीं है उसके बावजूद प्रतिवादीगण जोर जबरदस्ती अवैध रूप से वादीगण की वर्षो पुरानी कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण कर रहें है। प्रतिवादीगणों का कोई सरोकार नही है, किन्तु वादीगणों को धमकिया दी जाने लगी है वादीगणों के नाम पर जो भूमि स्थित है उस पर प्रतिवादीगणों द्वारा जबरन कब्जा कर वादीगणों को मौके पर से बेदखल कर दिया वादीगण कमजोर गरीब काश्तकार है प्रतिवादीगण द्वारा अपने ताकल के बल पर वादीगणों को डरा धमका कर भूमि पर कब्जा कर दिया है। वादीगणों द्वारा कई मर्तबा कब्जा प्राप्त करने की कोशिश की परन्तु प्रतिवादीगण जो संख्या में अधिक होने से वादी के साथ मारपिट करने की कोशिश करते है। इस प्रकार वादीगणों की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगणों ने जबरन अतिक्रमण कर लिया है। बतौर अतिक्रमी द्वारा पक्का निर्माण कर दिये जिस पर वादीगणो ने पुलिस थाने में इत्तला दी थी किन्तु प्रतिवादीगण असरदार लोग होने से कोई कार्यवाही नही की गई वादी वादोक्त भूमि का पुनःकब्जा प्राप्त करने की दावेदार है। प्रतिवादीगण खुखार लोग जंगलराज चला रखा है। वादीगण गरीब काश्तकार होने से प्रतिवादीगणों को मौके से बेदखल करने में असमर्थ है। अतः पुनः कब्जा दिलाया जाना अतिआवश्यक है। वादी प्रतिवादीगणों को बेदखल करा कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। क्षैत्राधिकार आप न्यायालय का होने से आप न्यायालय में वाद पेश किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को नोटिस जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये प्रतिवादीगणों द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर देने के बाद भी प्रतिवादीगणों द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब बन्द किया गया दिनांक 06.12.2024 के आदेशीका में प्रतिवादीगणों ने जवाब को पुनः रेकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वादीगणों को कोई आपत्ति नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः जवाब को रेकॉर्ड पर लिया गया फिर भी प्रतिवादीगणों ने न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नही किया जिससे जवाब पूर्ण रूप से बन्द किया जाकर एक तरफा कार्यवाई अमल में लाई गई प्रतिवादीगणों ने कोई साक्ष्य सबुत न्यायालय में पेश नही किये प्रतिवावादीगणों के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये व वादीगणों द्वारा साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत जिसके पदर्श अंकित कर संलग्न किये मौके का फोटा पदर्श –1, खाते की नकल सम्वत् 2075–78 पदर्श –02, नक्शा ट्रेश पदर्श –03, 107–151 की कार्यवाही की पत्रावली 5(1) से 5(5) तक पदर्श –05, 1 से 16 तक पुलिस पत्रावली की नकल पदर्श –06 तत्पश्चात् प्रकरण तहसीलदार लसाडिया से रिपोर्ट तलब की गयी, तहसीलदार लसाडिया के अनुसार राजस्व ग्राम गमेतीनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 की खाता संख्या 36 में वर्णित आराजी नम्बर 83 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि खातेदार श्री उदयलाल, खानुराम, नानालाल,शंकरलाल पिता दामला, कंकु बाई पत्नी दामला मीणा के नाम राजस्व रेकॉर्ड दर्ज है।उक्त आराजी नम्बर 83 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि पर श्री नारायण पिता पेमा का पक्का मकान निर्मित है। रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर श्री नारायण पिता पेमा द्वारा बाडा निर्मित कर रखा है रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि पर प्रधानपंत्री संपर्क सडक निर्मित है। रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्मित है। एवं शेष रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारान श्री उदयलाल, खानुराम, नानालाल,शंकरलाल पिता दामला, कंकु बाई पत्नी दामला मीणा का कब्जा होकर काश्त कर रहें है। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस सुनी गई विद्वान अधिवक्ता वादीगणो ने अपनी बहस में वही कथन कहें जो अपने वाद में अंकित किये गये है।

हमनें तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस पर मनन , पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है। जिस पर प्रतिवादीगणों ने जबरन कब्जा कर दिया है प्रतिवादीगणों द्वारा वादी के उक्त कथनों के खण्डन में कोई साक्ष्य या सबूत पेश नही किया है बल्कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगणों का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट डिक्री किया जाता है। तहसीलदार लसाडिया को आदेश दिया जाता है कि मौजा गमेतीनगर पटवार हल्का बेडावल–ए भू–अभिलेख निरीक्षक देवलीया में वादी के खुद काश्त, कब्जे तथा खातेदारी की खाता संख्या 36 में वर्णित आराजी नमबर 83 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगणों का कब्जा हटा कर

उपखण्ड अधिकारी

भौतिक रूप से वादीगणों को कब्जा दिया जावे प्रतिवादीगणों को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों ।

निर्णय आज दिनांक ....21/11/25.... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया [illegible] (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश कुमार बलाई आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 07 / 2024

तारीख दायर—09.05.2024
तारीख—निर्णय— 21/11/25

वादी पक्ष

1. श्री खानुराम पिता दामला मीणा निवासी गमेती नगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री नानालाल पिता दामला मीणा निवासी गमेती नगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्री शंकरलाल पिता दामला मीणा निवासी गमेती नगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्री उदयलाल पिता दामला मीणा निवासी गमेती नगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमती कंकु बाई पत्नी दामला मीणा निवासी गमेती नगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

.......वादीगण

बनाम

1. श्री केशा पिता पेमा मीणा निवासी गमेतीनगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
2. श्री शंकरलाल पिता पेमा मीणा निवासी गमेतीनगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
3. श्री नाथुलाल पिता पेमा मीणा निवासी गमेतीनगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
4. श्री नारायण पिता पेमा मीणा निवासी गमेतीनगर, बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
5. श्रीमान तहसीलदार, लसाडिया जरिये भूमिधारी राज्य सरकार तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित—1. श्री नरेश कुमार सोनी, वकील वादी
2. श्री जोनी जैन वकील प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री नरेश कुमार सोनी वकिल वादी मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगणों का कब्जा सिद्व नही

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

होने से बैदखल के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार लसाडिया को आदेश दिया जाता है कि मौजा गमेतीनगर पटवार हल्का बेडावल–ए भू–अभिलेख निरीक्षक देवलीया में वादी के खुद काश्त, कब्जे तथा खातेदारी की खाता संख्या 36 नया पुराना 33 के आराजी नम्बर 83 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगणों का कब्जा हटा कर भौतिक रूप से वादी को कब्जा दिया जावे प्रतिवादीगणों को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे।

पर्चा डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 21/11/25 ....को ज़ारी की गई

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर राज.
लसाडिया सलुम्बर